आकाशवाणी भोपाल

दोपहर समाचार

दिनांक 08.03.2025 समयः 2.10 PM

<u>अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस</u>

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय 'सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण' है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के योगदान को सम्मान देने और स्त्री–पुरूष समानता को बढ़ावा देने का अवसर है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है।

महिला दिवस कार्यक्रम–राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज "पढ़ेंगे हम–बढ़ेंगे हम" साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया। भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने म. प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व–सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि का वितरण भी किया । वहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना के तहत 1 हजार 250 रूपये की मासिक किश्त भी जारी की। कार्यक्रम में प्रदेश के छह प्रमुख शहरों भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार में जैविका हाट बाजारों का शुभारंभ भी हुआ। मुख्यमंत्री ने समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने नारी शक्ति को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुये कहा कि सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिये लगातार कार्य कर रही है।

लोक अदालत

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समूचे प्रदेश के जिला मुख्यालय के साथ–साथ तहसील व राजस्व न्यायालयो में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक व सिविल और अन्य मामलों का निराकरण किया जा रहा हे। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत की योजना सरल और सुलभ न्याय हेतु वरदान साबित हो रही हे। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत के संपादन हेतु जिले एवं तहसीलों में 44 खण्ड पीठों का गठन किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

- आगरमालवा जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- महिला दिवस के अवसर पर सतना में कलेक्टर ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बालिकाओं के लिए संचालित निःशुल्क कोचिंग क्लास की नई बैच का शुभारंभ किया।